मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या– 28/2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकः अगस्त 19 , 2021

प्रिय महोदय,

कृपया आप सभी अवगत हैं कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आप सभी को महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से दिये गये हैं। आप सभी सहमत होंगे कि महिलाओं एवं अवयस्क बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे–ऐसिड अटैक, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं।

परिपत्र संख्या–38/14, दि0 09.06.14
परिपत्र संख्या–51/14, दि0 16.08.14
परिपत्र संख्या–02/15, दि0 10.01.15
परिपत्र संख्या–04/15, दि0 14.01.15
परिपत्र संख्या–44/15, दि0 15.06.15
परिपत्र संख्या–68/15, दि0 07.10.15
परिपत्र संख्या–10/16, दि0 22.02.16
परिपत्र संख्या–20/16, दि0 13.04.16
परिपत्र संख्या–16/18, दि0 21.04.18
परिपत्र संख्या–23/19, दि0 19.06.19
परिपत्र संख्या–33/19, दि0 29.07.19

कतिपय जनपदों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों में तत्परतापूर्वक कार्यवाही न करने, विवेचना में विलम्ब/लापरवाही एवं जनपद प्रभारियों द्वारा अपेक्षित अनुश्रवण न करने के कारण पीड़ित महिलाओं में असुरक्षा की प्रबल भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट आदि जैसी सफल योजनायें प्रचलित हैं।

महिलाओं/बालिकाओं (POCSO) से सम्बन्धित अपराधों में निम्नांकित बिन्दुओं पर <u>विशेष ध्यान दिया जाए</u> :–

- महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध प्रतिदिन घटित घटनाओं का अनुश्रवण जनपद के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जाय तथा अपराधों की गम्भीरता के दृष्टिगत तत्काल विधिक कार्यवाही की जाए।
- ऐसे अपराधों की पाक्षिक समीक्षा परिक्षेत्रीय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की जाए।

- ऐसे अपराधों की मासिक समीक्षा जोनल स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक तथा कमिश्नरेट स्तर पर पुलिस आयुक्त द्वारा की जाए।
- पंजीकृत अपराधों में वॉछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही नियमानुसार तत्परतापूर्वक की जाए।
- लम्बित पुरानी विवेचनाओं का अभियान चलाकर शीघ्र विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- बीट/थाना स्तर पर महिला सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की शिकायत पर तत्काल विधिक कार्यवाही की जाए तथा पीड़िता का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो।
- आरोप पत्र समयान्तर्गत मा0न्यायालय में प्रेषित किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले लैंगिक उत्पीड़न/अपराध को रोकने के लिए पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लम्बित विवेचनाओं का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों की प्रभावी पैरवी एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सके।

सस्नेहाशीष,

भवदीय

19/8/21

(मुकुल गोयल)

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।

2–अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, विमेन पावर लाइन (1090), उ0प्र0 लखनऊ ।

3–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

4–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।